भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 331

04 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के अंतर्गत कम नामांकन

331. श्री अबु हसीम खान चौधरी:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत बीमित किसानों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न किसानों की संख्या में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2016 से 2019 तक वर्ष-वार और राज्य-वार पीएमएफबीवाई के अंतर्गत बीमित किसानों की संख्या कितनी है;

(घ) पीएमएफबीवाई पर मंत्रालय द्वारा आयोजित सभी संयुक्त समीक्षा मिशनों का निष्कर्ष क्या है;

(ङ) प्रीमियम और देयताओं के भुगतान के लिए संघ सरकार द्वारा वर्ष-वार और राज्य-वार व्यय की गई राशि कितनी है;

(च) क्या मंत्रालय ने योजना को अधिक प्रभावी करने के लिए वर्ष 2019 में अंशधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इन सुझावों को प्राप्त करने के बाद नीति में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख) : जी, नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के द्वितीय वर्ष अर्थात 2017-18 के दौरान यह कवरेज कुछ राज्यों द्वारा कर्जमाफी स्कीम की घोषणा करने और कवरेज में दोहरेपन के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के कारण कुछ कमी आई थी। लेकिन सरकार द्वारा लागू स्कीम के उन्नत विशेषताओं के कारण वर्ष 2018-19 में इस कवरेज में वृद्धि का रूझान देखने को मिला है।

(ग) : खरीफ, 2016 से वर्ष 2018-19 में इस स्कीम के प्रारंभ से आवेदक किसानों के कवरेज का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) : पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट संयुक्त समीक्षा मिशन का गठन नहीं किया गया है। तथापि, सरकार, राज्यों/बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों के साथ वीडियों कॉन्फेंसिंग कर, राज्यों के साथ तथा संबंधित बीमा कंपनियों के साथ राज्य विशिष्ट विषयों पर बैठकें आयोजित कर, बीमा कंपनियों के साथ साप्ताहिक बैठकें तथा सभी हितधारकों के साथ तीमाही समीक्षा बैठकें करके दैनिक आधार पर इस स्कीम की गहन निगरानी करती है। इसके अतिरिक्त सरकार, तेजी से बीमा सेवाएं प्रदान करने तथा दावों के त्वरित निष्तारण के साथ किसानों को राहत देने के लिए सभी कार्यान्वयन हितधारकों के लिए मौसमी कार्यों के साथ-साथ पीएमएफबीवाई प्रचलनात्मक प्रणाली के कार्यान्वयन में सुधार भी करती है।

(ङ) : पीएमएफबीवाई के तहत प्रीमियम सब्सिडी में भारत सरकार के हिस्से का राज्य-वार एवं वर्ष-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(च) एवं (छ) : सरकार ने रबी, 2018-19 के मौसम से इस स्कीम के प्रचलनात्मक दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है। सभी हितधारकों से सुझाव मांगना तथा फसल बीमा स्कीम में संशोधन/सुधार करना एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है और विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करके समय-समय पर प्राप्त सुझावों/प्रतिवेदनों पर निर्णय लिया जाता है। तदनुसार हितधारकों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

अनुबंध

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक के लिए बीमित किसानों के आवेदन की कुल संख्या का राज्य-वार विवरण एवं प्रीमियम सब्सिडी में भारत सरकार के हिस्से का विवरण इस प्रकार है

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीमित किसानों की कुल संख्या (लाख में)			प्रीमियम सब्सिडी में भारत सरकार का हिस्सा (रू. करोड़ में)		
	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19
अंडमान एवं निकोबार द्विप समूह	0.003	0.004	0.007	0.005	0.011	0.096
आंध्र प्रदेश	17.756	18.255	24.467	323.029	521.230	524.922
असम	0.603	0.558	0.738	1.837	3.373	3.403
बिहार	27.142	23.031	-	605.813	424.745	-
छत्तीसगढ़	15.491	14.743	15.704	94.637	114.491	364.030
गोवा	0.008	0.005	0.003	0.003	0.001	0.000
गुजरात	19.802	17.618	21.710	947.617	1,431.532	1,369.413
हरियाणा	13.360	13.547	14.435	65.787	96.568	262.244
हिमाचल प्रदेश	3.799	3.817	2.673	20.282	23.501	24.852
जम्मू और कश्मीर	-	1.587	1.541	-	15.988	29.899
झारखंड	8.793	11.955	12.904	116.088	91.832	164.337
कर्नाटक	29.491	20.857	19.192	558.013	799.507	795.153
केरल	0.774	0.558	0.573	12.967	9.770	15.061
मध्य प्रदेश	74.608	69.546	73.383	1,542.208	2,015.319	2,321.559
महाराष्ट्र	120.096	102.084	147.310	1,956.927	1,874.029	2,659.379
मणिपुर	0.084	0.091	0.015	1.427	0.597	0.052
मेघालय	0.001	0.029	0.007	0.014	0.206	0.005
ओडिशा	18.202	18.930	20.768	198.211	337.630	454.555
पुडुचेरी	0.085	-	0.107	1.202	-	1.107
राजस्थान	91.896	88.053	69.316	1,088.949	1,100.424	1,430.132
सिक्किम	0.006	0.015	0.002	0.001	0.001	-
तमिलनाडु	15.022	14.635	20.458	520.186	608.990	650.343
तेलंगाना	9.731	10.899	7.811	89.180	244.739	185.663
त्रिपुरा	0.118	0.117	0.006	0.049	0.074	0.005
उत्तर प्रदेश	72.893	54.210	61.270	339.105	501.100	545.633
उत्तराखंड	2.616	2.224	1.921	11.013	24.513	27.059
पश्चिम बंगाल	41.333	40.596	51.793	240.661	202.006	205.799
कुल योग	**583.714**	**527.965**	**568.116**	**8,735.212**	**10,442.174**	**12,034.700**